

अनुसूची 21-फारम सं- 113

अप्रमाणित संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र
 प्रमाण-पत्र संख्या 2415

नैक श्री श्री Krishna Murari Singh आवेदन सं०

2460/22

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निर्दिष्ट संबंधियों और अवभारों का सविस्तर प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करना है कि मुक्त संपत्ति को परिष्कार करने वाले संबंधियों और अवभारों के बारे में यही मैं और उससे संबंधित अनुक्रमणिका में ता० 01/01/2009 तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संबंधियों और अवभारों का पता चला नला है अतः

समाप्ति के 01 मार्च 2009

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	Mouza - Saielpura @ Salempur chattr							
	Thoma - Dama pur.							
	Thomano - 51							
	Khatano - 203, 173							
	Kheshrano - 651, 652, of part							
	Touzirno - 5458							
	Arcan - 12. Katha. 10. Dhurs.							



PINACLE ENGICON PVT. LTD.

Prasad Paul



Director


1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा व्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते की उनके चारों में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।
मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संबन्धनों और अवधारणों को छोड़ें उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संबन्धनों और अवधारणों का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:


(हस्ताक्षर): 
(पदनाम): 

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): 
(पदनाम): 

कार्यालय: 
Danapur, Patna.
तारीख: 14/05/2022




महानिबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर





टिप्पणी: इस प्रमाण-पत्र में जो संबन्धन और अवधारण दिखाये गये हैं वे भुगतान द्वारा अर्पित संपत्ति के विवरण के अनुसार पत्रित गये हैं। यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधन प्रमाणित करने में दिखाना गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संबन्धन (अनुक्रमणिका) इस प्रमाण पत्र में शामिल नहीं किये जायेंगे।


2. निबंधन अधिनियम की धारा-59 के अधीन जो व्यक्ति (बहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रतिलिपियाँ देखना चाहते हैं अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हैं जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारणों के प्रमाण-पत्रों को जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके पास रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद हट्टे गये संबन्धनों और अवधारणों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा हट्टे गये ऐसे संबन्धनों और अवधारणों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक 

ज्ञाप संख्या 2495 दिनांक 14/05/2022
आवेदक श्री.  
का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा
का उनके पत्र संख्या  दिनांक  के प्रमाण में अग्रसारित की जाती है।


निबंधन पदाधिकारी
